निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1933 (श0)

(सं0 पटना 392) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2011

पथ निर्माण विभाग

————————

अधिसूचना

20 जुलाई 2011

सं0 निग/सारा–4–(पथ)–आरोप–105/10–8286(एस)—श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के0नि0सं0 पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा पथ प्रमंडल खगड़िया के पदस्थापनकाल में खगड़िया–मुंगेरघाट लिंक पथ के कि0मी0 2 (अंश) में विभिन्न स्थानों पर कराए गए बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओवर साईज पाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त विटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक–12872 (ई) अनु0, दिनांक 11 नवम्बर 2009 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के0नि0सं0 पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक–शून्य, दिनांक 09 दिसम्बर 2009 के विभागीय समीक्षोपरान्त बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम विटुमेन प्रयोग करने के लिए कि श्री कुमार को दोषी मानते हुए अधिसूचना सं0–14765 (एस) दिनांक 21 अक्तूबर 2010 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः–

(i) एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) निन्दन (आरोप वर्ष–2007)।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सुरेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, के0नि0सं0 पथ निर्माण विभाग, पटना द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य, दिनांक 26 अक्तूबर 2010 एवं पत्रांक–शून्य, दिनांक 31 मई 2011 में अंकित किया कि वे खगड़िया मुंगेर घाट लिंक

पथ के प्रभार में थे और उक्त पथ में बी0यू0एस0जी0 जाँच नहीं हुई थी जबकि बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम बिटुमेन प्रयोग के लिए दंडित किया गया, उक्त आधार पर श्री कुमार द्वारा दंड से मुक्त से करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार से खगड़िया मुंगेर घाट लिंक पथ के कि0मी0 2 (अंश) में विभिन्न स्थानों पर कराये गये बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त एग्रीगेट ओवर साईज पाये जाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए स्पष्टीकरण किया गया था एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उक्त आरोप को सही पाया गया परंतु टंकण भूलवश दंडादेश अधिसूचना सं0 14765 (एस), दिनांक 21 अक्तूबर 2010 में बी0एम0 कार्य की जगह बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम बिटुमेन प्रयोग करने की बात अंकित हो गई।

अतः सम्यक् समीक्षोपरांत श्री कुमार से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पत्रांक–शून्य, दिनांक 28 अक्तूबर 2010 एवं पत्रांक–शून्य, दिनांक 31 मई 2011 को अस्वीकृत करते हुए पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0 14765 (एस), दिनांक 21 अक्तूबर 2010 में निम्नरूपेण आंशिक संशोधन किया जाता है यथा – **" बी0यू0एस0जी0 में 50 प्रतिशत कम बिटुमेन प्रयोग करने के लिए कि "** के स्थान पर **" बी0एम0 कार्य में प्रयुक्त aggregate ओवर साईज पाये जाने एवं उक्त कार्य में प्रयुक्त बिटुमेन की मात्रा औसत से कम पाये जाने के लिए "** पढ़ा जाय, शेष शर्तें यथावत रहेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 392-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in